कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क्र (0733)–2223244 फेक्स क्र (0733) 2224531 ई–मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि / एफ.सी.ए. / 2018 / खण्डवा, दिनांक

5591
12 OCT 2018

12-10-18

कलेक्टर
(वाचक शाखा),
जिला–खंडवा

विषय:– आवेदक / जिला रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा को नवीन न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासगृह के निर्माण हेतु ग्राम पुनासा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 183 रकबा 5.67 हे0 में से 0.400 हे0 भूमि हस्तांतरण बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र / वाचक कले0 / 13213 दि. 25.08.2017 एवं कार्यालयीन पत्र कमांक 2985 दिनांक 04.09.2017।

——:000:——

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में अनुरोध है कि ग्राम पुनासा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 183 रकबा 5.67 हे0 में से 0.400 हे0 भूमि आवेदक / जिला रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा को नवीन न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासगृह के निर्माण हेतु आरक्षित किए जाने के संबंध में संदर्भित पत्र से प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 13 प्रावधान, एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के उपयोग के संबंध में प्राधिकृत किया गया है एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के उपयोग के संबंध में 13 प्रावधानों हेतु प्राधिकृत किया गया है। विषयांकित भूमि नवीन न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासगृह के निर्माण हेतु देने का प्रावधान नहीं है।

ऑनलाईन प्रकरणों की सूची में 45 प्रकरण दर्ज है जिसमें उक्त प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार को प्रेषित करना होगा तदनुसार कार्यवाही की जा सकती है। इस हेतु आवेदक संस्था को आवेदन ऑनलाईन प्रकरण वेवसाईट www.forestsclearence.nic.in पर दर्ज करना होगा। प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sd/-
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल खंडवा

पृष्ठांकन कमांक / मा.चि / एफ.सी.ए. / 2018 / 4313 खण्डवा,दिनांक 6-10-18

प्रतिलिपि : –

1/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुनासा, की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2/ तहसीलदार पुनासा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3/ आवेदक / जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, खंडवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रकरण ऑनलाईन बेवसाईट पर दर्ज कराने का कष्ट करेगे।

वनमण्डलाधिकारी